Order Sheet [Contd] Case No - B.A -13 /2017

Date of Order or Proceeding with Signature of presiding 12—01—2017 Uरिवादी द्वारा श्री ए.कं.श्रीवास्तव अधिवक्ता। आरोपी बजीरसिंह पुत्र सोवरनसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम जमदारा थाना माँ जिला भिण्ड, स्थाई पता ग्राम स्याईपुरा थाना माँ को पुलिस थाना माँ के आरक्षक बीरेन्द्र के द्वारा गिरफतार कर पेश किया गया। मूल प्रकरण जो कि गैरम्यादी गिरफतारी वारंट जारी कर बालिख रिकार्ड करने का आदेश दिया गया है जो कि अभी न्यायालय में उसे पुनः नम्बर पर लिया जावे। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध म0प्र0 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत धारा 138(1)(ख) का अपराध पंजीबद्ध होने से आरोपी प्रकरण में वांकित है उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जावे। आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री उदयलसिंह गुर्जर द्वारा अपना मेमो पेश कर आरोपी का नियमित जमानत आवेदमपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश किया गया। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदमपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी ग्राम स्याई पुरा थाना मो का स्थाई निवासी है उसके द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई तथा उसके नाम से जो विद्युत कनेवशन का आवेदक के द्वारा समस्तर शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विमाग ने विद्युत के द्वारा धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र	Case No - B.A –13 / 2017		
आरोपी बजीपसिंह पुत्र सोवरनसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम जमदारा थाना मों जिला भिण्ड, स्थाई पता ग्राम स्याईपुरा थाना मों को पुलिस थाना मों के आरक्षक बीरेन्द्र के द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया। मूल प्रकरण जो कि गैरम्यादी गिरफ्तारी वारंट जारी कर वालिख रिकार्ड करने का आदेश दिया गया है जो कि अभी न्यायालय में उसे पुनः नम्बर पर लिया जावे। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध मठप्र० विद्युत अधिनियम 2003 के तहत धारा 138(1)(ख) का अपराध पंजीबद्ध होने से आरोपी प्रकरण में वांछित है उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जावे। आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री उदयलसिंह गुर्जर द्वारा अपना मेमो पेश कर आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फों. पेश किया गया। आवेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फों. पेश किया गया। आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक, /आरोपी ग्राम स्याई पुरा थाना मो का स्थाई निवासी है उसके द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई तथा उसके नाम से जो विद्युत कनेक्शन का आवेदक के द्वारा सम्पूर्ण विल की राशि जमा कर दी गई है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विद्युत	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
1 411	12-01-2017	आरोपी बजीरसिंह पुत्र सोवरनसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम जमदारा थाना मौ जिला भिण्ड, स्थाई पता ग्राम स्याईपुरा थाना मौ को पुलिस थाना मौ के आरक्षक बीरेन्द्र के द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया । मूल प्रकरण जो कि गैरम्यादी गिरफ्तारी वारंट जारी कर वालिख रिकार्ड करने का आदेश दिया गया है जो कि अभी न्यायालय में उसे पुनः नम्बर पर लिया जावे । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध म0प्र0 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत धारा 138(1)(ख) का अपराध पंजीबद्ध होने से आरोपी प्रकरण में वांछित है उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जावे । आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री उदयलसिंह गुर्जर द्वारा अपना मेमो पेश कर आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश किया गया। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश किया गया। अवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी ग्राम स्याई पुरा थाना मौ का स्थाई निवासी है उसके द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई तथा उसके नाम से जो विद्युत कनेक्शन का आवेदक के द्वारा सम्पूर्ण विल की राशि जमा कर दी गई है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया।	A Trible

कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था और पुनः चैक करने पर आरोपी को द्वारा उक्त कनेक्शन जोडकर उसका उपयोग किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में आरोपी को आज पुलिस थाना मौ के द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना है एवं आरोपी के द्वारा बकाया बिल की राशि भी 20000/- रूपए जमा कर रशीद पेश की गई है। ऐसी दशा में आवेदक / आरोपी की ओर से 10,000 / — (दस हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये।

🕢 प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। आरोप तर्क हेतु दिनांक 28.01.2017 को पेश हो।

> (डी.सी.थपलिया) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

पुनश्चय:-

आदेश के पालन में आरोपी की ओर से 10,000/- रूपए की जमानत, जमीनदार अहिवरनसिंह पुत्र जसबंतसिंह गुर्जर निवासी खरौआ, हाल निवासी गोहद थाना गोहद जिला भिण्ड के द्वारा प्रेश की गई एवं इसी राशि का बंधपत्र आरोपी के द्वारा पेश किया गया। जमानतदार की पहचान उदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की गई। ्।
्ष्य हो।
(डी.सी.थपितया)
विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जमानत बाद जॉच सक्षम होने से तस्दीक की गई है। 🟑

